

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक: स्था./3/व.सू./मु.प्र./2024/ 44471-575 दिनांक 05/01/2024

1. उप महानिरीक्षक कारागार रेंज,  
जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
2. समस्त प्रभारी,  
कारागृह, राजस्थान।
3. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान,  
अजमेर।
4. समस्त प्रभारी,  
महिला/किशोर बंदी सुधारगृह, राजस्थान।

विषय:-दिनांक 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार मुख्य  
प्रहरियों की अस्थायी वरिष्ठता सूची।

प्रसंग:-इस कार्यालय का पत्रांक 43894-995 दिनांक  
04.01.2024

महोदय,

राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 के नियम  
39 के अंतर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा कारागार विभाग के मुख्य प्रहरियों  
की दिनांक 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार अस्थायी वरिष्ठता सूची  
जारी की गयी है।(प्रति संलग्न)

आपके अधीन पदस्थापित मुख्य प्रहरियों को वरिष्ठता सूची  
से अवगत करावे एवं यदि उन्हें वरिष्ठता के संबंध में किसी प्रकार की  
कोई आपत्ति हो तो वह अपना लिखित प्रतिवेदन अविलम्ब प्रस्तुत करें।  
अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे मुख्य प्रहरी के सेवाभिलेख  
के आधार पर परीक्षण कर आपकी टिप्पणी सहित दिनांक 20.01.2024  
तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय को भिजवावे।

संलग्न:-अस्थायी वरिष्ठता सूची

भवदीय,

(विक्रम सिंह कर्णावत)  
महानिरीक्षक कारागार  
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:-

- 1.समस्त प्रभारी, उपकारागृह, राजस्थान।

*Kunj*  
महानिरीक्षक कारागार  
राजस्थान जयपुर

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक: स्था./3/व.सू./मु.प्र./2024/ 44471-575 दिनांक 05/01/2024

1. उप महानिरीक्षक कारागार रेंज,  
जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
2. समस्त प्रभारी,  
कारागृह, राजस्थान।
3. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान,  
अजमेर।
4. समस्त प्रभारी,  
महिला/किशोर बंदी सुधारगृह, राजस्थान।

विषय:-दिनांक 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार मुख्य  
प्रहरियों की अस्थायी वरिष्ठता सूची।

प्रसंग:-इस कार्यालय का पत्रांक 43894-995 दिनांक  
04.01.2024

महोदय,

राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 के नियम  
39 के अंतर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा कारागार विभाग के मुख्य प्रहरियों  
की दिनांक 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार अस्थायी वरिष्ठता सूची  
जारी की गयी है।(प्रति संलग्न)

आपके अधीन पदस्थापित मुख्य प्रहरियों को वरिष्ठता सूची  
से अवगत करावें एवं यदि उन्हें वरिष्ठता के संबंध में किसी प्रकार की  
कोई आपत्ति हो तो वह अपना लिखित प्रतिवेदन अविलम्ब प्रस्तुत करें।

अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे मुख्य प्रहरी के सेवाभिलेख  
के आधार पर परीक्षण कर आपकी टिप्पणी सहित दिनांक 20.01.2024  
तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय को भिजवावें।

संलग्न:-अस्थायी वरिष्ठता सूची

भवदीय,

*Wyu*

(विक्रम सिंह कर्णावत)  
महानिरीक्षक कारागार  
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:-

- 1.समस्त प्रभारी, उपकारागृह, राजस्थान।

महानिरीक्षक कारागार  
राजस्थान जयपुर